फार्म की दर रू0 400/-(+ देय जी.एस.टी)

क्रमांक

अल्प निविदा प्रपत्र

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 31.3.2019 तक के लिये राजभवन गैराज की **होन्डा एकार्ड कार के टायर साइज 215/60 आर 16, 95 एच**, **हान्डा सिविक कार के टायर साइज 195/65 आर 15** एवं **मारूति एस0एक्स0–4 के 02 वाहनो में टायर साइज 195/65 आर15** में टयूबलेस टायर क्रय के सम्बन्ध में निर्माताओ/अधिकृत डीलरों से एतद्द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है।

(अ) मुहरबन्द निविदा विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय कक्ष में दिनांक 15–06–2018 को पूर्वान्ह 02:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा निविदा समिति द्वारा दिनांक 15–06–2018 को अपरान्ह् 4:30 बजे् अल्प निविदा खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अल्प निविदा अगले कार्यदिवस को अपरान्ह 4.30 बजे खोली जायेगी।निविदा खालते समय निविदादाता अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

(ब) निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगीः–

1. आयकर एवं वाणिज्य कर में पंजीकरण होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जीएसटी/पैन नम्बर अंकित करें।
2. अपेक्षित टयूबलेस टायर 02 दिन के अन्दर वाहन की व्हील बैलेसिंग,व्हील अलायमेंट के साथ लगाना होगा।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र क्रय करते समय निविदा फार्म के रूप में रूव 400/– जमा करना होगा साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति देनी होगी तथा निविदा प्रपत्र के मूल्य पर देय जीएसटी का भुगतान वाणिज्य कर कार्यालय में जमा करना होगा।

(स) फर्म /कम्पनी को उक्त शर्तों के अलावा निम्न शर्ते भी पूरी करना अनिवार्य हैः–

1. फर्म/कम्पनी आपूर्ति अवधि के लिये अधिकृत विक्रेता हो।
2. फर्म/कम्पनी न्यायालय द्वारा दण्डित न हो।
3. न्यूनतम तीन वर्ष की बिक्री का अनुभव हो।
4. फर्म/कम्पनी को अपना टेलीफोन नम्बर एवं निविदादाता को अपना मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही चरित्र प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।
6. निविदा के साथ विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में अनुसूचित बैंक का रू0 1,000.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
7. सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय जमानत धनराशि रू0 5,000 00 मात्र का एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट जो दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के लिए वैध हो प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल,उ0प्र0 के पक्ष में बन्धक करके जमा करना होगा।
8. निविदा देने वाले को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना होगा कि उनका कोई निकट सम्बन्धी राजभवन या राज्यपाल सचिवालय की सेवा में नही है। यदि है तो उसका नाम एवं पदनाम अंकित करना होगा।
9. किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निविदा के सम्बन्ध में समर्थन कराने का कड़ा निषेध है, ऐसे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा माँगे जाने की सूचना निविदा स्वीकार कर लिये जाने पर अनुबन्ध का एक भाग हो जायेगी।
11. निविदा में अंकित दरें राजभवन/राज्यपाल सचिवालय में माल की डिलीवरी तक की हों गी। अलग से कोई पैकिंग/भाड़ा इत्यादि देय न होगा।
12. दरें प्रेषित करते समय उसमें जीएसटी आदि अन्य करों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह समझ लिया जायेगा कि दरें जीएसटी आदि अन्य करों सहित है।
13. निविदादाता द्वारा वाहन में टयूबलेस टायर ,व्हील बैलेसिंग,व्हील अलाइनमेंट निःशुल्क लगाने पर सहमत देनी होगी,।
14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0 को होगा, जिस पर कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
15. स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु लागू होंगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन टेण्डर की अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी भी जा सकती है।
16. निविदा की विशेष शर्ते एवं पूर्ण विवरण राजभवन की वेब साइट www.upgovernor.gov.in पर देखी जा सकती है।

(संजय श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक
राजभवन,उ0प्र0।

मुझे उक्त सभी शर्ते स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

TERMS & CONDITION REQUIRED FOR THE APPROVED SUPPLIERS OF TUBELESS TYRE FOR THE VEHICLES OF RAJ BHAWAN GARAGE LUCKNOW

1. The suppliers shall have to take purchase order from Special Secretary cum Finance Controller of Raj Bhawan.
2. The suppliers will be required to supply tubeless tyre as ordered within 07 days.
3. The suppliers shall present bills in triplicate in favour of Principal Secretary to Governor,U.P. Lucknow complete in all respects and within 7 days of delivery.
4. Name of tubeless tyre in the bills should be ligible..
5. In case of non-supply of tubeless tyre within prescribed period without acceptable genuine reasons like strike, holiday, non-working day. 10 % shall be deducted from your bill as penalty (of the cost of tubeless tyre not supplied).
6. PRINCIPAL SECRETARY. TO THE GOVERNOR RAJBHAVAN,U.P. concerned shall have all the rights to accept or reject the tubeless tyre brought by your firm or company.
7. Due to non supply of tubeless tyre within prescribed period without assigning reasons PRINCIPAL SECRETARY. TO THE GOVERNOR RAJBHAVAN.U.P is free to purchase required tubeless tyre from open market price and the losses due to it will be deducted from the security money.
8. The Tender is liable to be cancelled at any time without assigning any reason by the Principal Secretary to the Governor of U.P.
9. Specified conditions of the tender and other details can be seen in the office of Raj Bhawan, U.P., Lucknow and also available on Website www.upgovernor.nic.in

Special Secretary cum Finance
Controller of.**Raj Bhawan,**
Lucknow.

I have accepted and agreed to abide by the above terms and conditions.

Date

Signature